

**कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौडगढ(राज.)**

क्रमांक-भू.अ / 2025 /

दिनांक- / / 2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीजन श्री शंकर वर्मा पिता/पति हरलाल निवासी सावगा पटवार हल्का सावगा के राजस्व गां. सावगा में जमावदी संवत् 2070-81 की खाता संख्या 30 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम जटिया किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम जटिया का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

*(Handwritten Signature)*  
तहसीलदार (भू.अ.)  
बरसी  
जिला चित्तौडगढ(राज.)

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)**

क्रमांक-रीडर/ 2025 / 708

दिनांक-26/9/ 2025

निमित्त,

पटवार हल्का सावगा

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कायदा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एम.आर. एक्ट 1955 की धारा 150

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीजन के अनुसार श्री शंकर वर्मा पिता/पति हरलाल राजस्व गां. सावगा पटवार हल्का सावगा की खाता संख्या 30 में जाति/नाम चमार दर्ज है। जिससे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व परामर्श पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीजन श्री शंकर वर्मा पिता/पति हरलाल की जाति/नाम जटिया एम.आर. एक्ट 1955 की धारा 150 के तहत संशोधन दर्ज करने की रवीकृति एतद् द्वारा भी जाती है। पटवार हल्का सावगा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन भी पालना पेश करें।

प्रतिलिपि- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प. सं  
378  
2025  
दि. 26.9.25

